RB/Estt. No.113/2009

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2008/PM7/4 SLP **New Delhi, dated 19.06.2009**

The General Managers(P)
All Indian Railways &
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Selection Procedure for promotion to General Selection Posts – Placement of names on panel – instructions regarding.

As the Railways are aware, in pursuance of Hon'ble Apex Court's judgement dt.15.03.1996, in M. Ramjayram Vs. General Manager, South Central Railway and others, 1996 (1) SC SLJ 536, it was held that it is illegal to award marks for 'Seniority', for promotion to General Posts, i.e., those outside the normal channel of promotion, for which eligible volunteers are called from different categories whether in the same department, or, from different departments, Board vide their letter No.E(NG)I-98/PM1/11, dt.16.11.1998, had modified the Selection Procedure to such General posts. These instructions are contained in para 219(j) of Indian Railway Establishment Manual(IREM), Vol.I, 1989, as amended from time to time. In terms of instructions contained in clause (iii) below para 219(j), final panel in such cases, is required to be drawn up in the order of seniority from amongst those who secure a minimum of 60% marks in professional ability and 60% marks in the aggregate, provided that those securing a total of 80%, or, more marks, are classed as 'Outstanding' and placed at the top of the panel, in the order of seniority. Besides above provisions, separate instructions prescribing different methods for placement of names on panel, in a few categories, viz., LDCE quota in the category of Sr. Clerks(Rs.4500-7000), Commercial/Traffic Apprentices(Rs.5500-9000), for induction of Intermediate Apprentices for eventual absorption as JE-II (Rs.5000-8000) in various technical departments, qualified staff quota in the category of Skilled Artisans Gr.III(Rs.3050-4590) in various engineering departments, LDCE quota in the categories of Office Superintendent Gr.II(Rs.5500-9000) and Staff & Welfare Inspectors Gr.I(Rs.6500-10500) etc., have also been issued.

2. The instructions regarding formation of panel in the order of seniority, have been under challenge before various Courts/tribunals for granting relief in terms of placement of names on panel in the order of merit based on the marks obtained in such General Selections. The provision of placement of names on final panel in the order of seniority, as indicated above, has been struck down by High Court/Punjab & Haryana, in Writ Petition No.4746/2002 vide judgement dt.09.04.2008. High Court

have, inter-alia, held that, since in such General Selections, candidates are not from the same seniority units and there is no common seniority list on the basis of which their names can be placed in the order of seniority, therefore, promotion to such posts should be made only on the basis of merit, uninfluenced by seniority of the candidates. The Hon'ble High Court have accordingly declared the provision of arranging the names on final panel in the order of seniority in General Selections as wholly illegal and arbitrary and set aside the same. The Special Leave Petition No.16774/2008 filed before the Hon'ble Supreme Court against the High Court's above-mentioned judgement, has also been dismissed on 05.01.2009.

3. The matter has, accordingly been carefully considered by the Board and it has been decided that in cases of promotion to General Posts in which candidates are called from different categories, whether in the same department or from different departments and where zone of consideration, is not confined to three times the number of staff to be empanelled, panels should be strictly prepared as per merit, with reference to marks obtained by the candidates in 'Professional ability' and 'Record of Service'. Subject to usual relaxation for SC/ST staff, wherever permissible, those securing less than 60% in 'Professional ability' and 60% in aggregate, will not be considered eligible for inclusion in the panel. Further, the service records of only those candidates who secure a minimum of 60% marks in 'Professional ability', shall be assessed. Since the final panel has to be drawn on the basis of merit, there will be no scope for erstwhile provision of placement of candidates who secure 80% or more marks, classified as 'Outstanding', on the top of the panel.

3.1. These instructions will supersede all previous instructions, as far as the same relate to the provision of arranging names on the final panel in the order of seniority, for promotion to General Posts. However, all other conditions, as contained in the specific instructions for a particular category, shall continue to hold good.

3.2. These instructions shall be applicable with immediate effect, i.e., from the date of issue of these orders, to all panels for promotion to General Posts. Any previous selection panel drawn up otherwise, before issue of this letter, need not be reopened.

4. Accordingly, the Indian Railway Establishment Manual, Volume I, 1989 is also amended, as per **ACS No.209** enclosed.

Please acknowledge receipt.

(D. V. Rao)
Joint Dir. Estt.(N),
Railway Board

D.A.:ACS No.209.

....3/-

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I (1989 EDITION)

ADVANCE CORRECTION SLIP No.209.

Chapter II, Section 'B' – Rules governing the promotion of Group 'C' staff.

I. Substitute the following for the opening sentence of existing sub-para (j) of Para 219:-

"(j) For general posts, i.e., those outside the normal channel of promotion for which candidates are called from different categories whether in the same department or from different departments and where zone of consideration is not confined to three times the number of staff to be empanelled, the selection procedure should be as under:-"

II. Substitute the following for the existing clause (iii) below sub-para (j) of Para 219:-

"The final panel should be drawn up in the order of merit based on aggregate marks of 'Professional ability' and 'Record of service'. However, a candidate must secure a minimum of 60% marks in 'Professional ability' and 60% marks in the aggregate, for being placed on the panel. There will be no classification of candidates as 'Outstanding'."

(**Authority:** Railway Board's letter No. E(NG)I-2008/PM7/4 SLP dt. 19.06.2009)

****

आर.बी./स्था.सं. 113/2009

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)I-2008/पी एम 7/4 एसएलपी — नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2009

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार).

विषय : सामान्य चयन पदों पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया- पैनल पर नामों को रखने संबंधी अनुदेश.

जैसा कि रेलें जानती हैं एम.रामजयराम बनाम महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे और अन्य, 1996 (1) एस सी एस एल जे 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.03.1996 के निर्णय में यह कहा गया था कि सामान्य पदों अर्थात वह पद जो पदोन्नति के सामान्य चैनल से बाहर हों और जिसके लिए एक विभाग की या अलग-अलग विभागों की, अलग-अलग कोटियों के पात्र इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे जाते हैं, पर पदोन्नति के लिए 'वरिष्ठता' के अंक देना गैर-कानूनी है, के अनुसरण में बोर्ड ने दिनांक 16.11.1998 के पत्र सं. ई (एन जी)I-98/पीएम 1/11 के तहत ऐसे सामान्य पदों की चयन प्रक्रिया को आशोधित किया है. ये अनुदेश समय-समय पर संशोधित भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I, 1989 के पैरा 219 (ज) में अनुबद्ध हैं. पैरा 219 (ज) के नीचे खंड (iii) में अनुबद्ध अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार के मामलों में, अंतिम पैनल, उन उम्मीदवारों में से वरिष्ठता के क्रम में तैयार किया जाना अपेक्षित है जिन्होंने व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% तथा कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए हैं. उन उम्मीदवारों को जिन्होंने कुल 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को 'उत्कृष्ट' श्रेणी में रखते हुए वरिष्ठता के क्रम में पैनल में सबसे ऊपर रखा जाता है. उक्त प्रावधानों के अलावा, कुछ कोटियों जैसे वरिष्ठ क्लर्कों (4500-7000 रु.) की कोटि में एल डी सी ई कोटा, विभिन्न तकनीकी विभागों में जे ई II (5000-8000 रु.) के रूप में अन्ततः आमेलन के लिए मध्यवर्ती प्रशिक्षुओं में प्रवेश के लिए, वाणिज्य/यातायात प्रशिक्षु (5500-9000 रु.), विभिन्न इंजीनियरी विभागों में कुशल कारीगरों ग्रेड III (3050-4590 रु.) की कोटि में योग्य कर्मचारी कोटा, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड II (5500-9000 रु.) एवं कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक ग्रेड I (6500-10500 रु.) की कोटियों में एल डी सी ई कोटा, आदि में पैनल पर नाम रखने के लिए विभिन्न विधियों के लिए, पृथक अनुदेश भी जारी किए गए हैं.

2. इस प्रकार के सामान्य चयनों में, वरिष्ठता के क्रम में पैनल बनाने के अनुदेशों को, चयन में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मेरिट के क्रम में पैनल पर नामों को रखे जाने का लाभ प्रदान करने के लिए, विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष चुनौती दी जा रही है. हाल ही में, ऊपर बताए गए, अंतिम पैनल पर वरिष्ठता के क्रम में नामों को रखने के प्रावधान को, उच्च न्यायालय/पंजाब एवं हरियाणा की रिट याचिका सं. 4746/2002 में 09.04.2008 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया है. उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह भी कहा कि चूंकि इस प्रकार के सामान्य चयनों में, उम्मीदवार एक वरिष्ठता यूनिट के नहीं होते और कोई भी ऐसी सामान्य वरिष्ठता सूची नहीं है जिसके आधार पर वरिष्ठता क्रम में उनके नामों को रखा जा सके, अतः ऐसे पदों पर पदोन्नति उम्मीदवारों की वरिष्ठता से

प्रभावित हुए बिना, केवल योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए . तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने सामान्य चयनों में वरिष्ठता के क्रम में अंतिम पैनल पर नाम रखने के प्रावधान को पूर्णतः गैर-कानूनी तथा मनमानी माना और इसे रद्द कर दिया. उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई विशेष अनुमति याचिका संख्या 16774/2008 भी 05.01.2009 को खारिज हो गई है.

3. तदनुसार, बोर्ड द्वारा इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि सामान्य पदों, जिसमें उम्मीदवार, उसी विभाग या विभिन्न विभागों की विभिन्न कोटियों से बुलाए जाएंगे और जहां विचारार्थ कर्मचारियों की संख्या पैनल पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के तीन गुणा तक ही सीमित नहीं होती, पर पदोन्नति के मामलों में, पैनल उम्मीदवारों द्वारा 'व्यावसायिक योग्यता' और 'सेवा रिकॉर्ड' में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, केवल मेरिट के क्रम में ही तैयार किया जाना चाहिए. अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों को सामान्य छूट, जहां कही अनुमेय हो, के अध्यधीन, वे उम्मीदवार, जिन्होंने 'व्यावसायिक योग्यता' में 60 % और कुल मिलाकर 60% से कम अंक प्राप्त किए हों, को पैनल में शामिल करने के योग्य नहीं माना जाएगा. इसके अतिरिक्त, केवल उन्हीं उम्मीदवारों, जिन्होंने 'व्यावसायिक योग्यता' में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हों, के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाएगा. चूंकि योग्यता के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जाना है, इसलिए उन उम्मीदवारों जिन्होंने 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें 'उत्कृष्ट ' मानकर पैनल में सबसे ऊपर रखने के पूर्ववर्ती प्रावधान के लिए कोई स्थान नहीं होगा.

3.1 इन अनुदेशों से, सामान्य पदों पर पदोन्नति के लिए, अंतिम पैनल में वरिष्ठता के क्रम में नामों को रखने के प्रावधान से संबंधित, पिछले सभी अनुदेशों का अधिक्रमण होगा. बहरहाल, किसी विशेष कोटि के लिए विशिष्ट अनुदेशों में यथा-अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी.

3.2 ये अनुदेश तत्काल प्रभाव, अर्थात्, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से सामान्य पदों पर पदोन्नति के लिए जारी सभी पैनलों पर लागू होंगे. इस पत्र के जारी होने से पूर्व, अन्य प्रकार से बनाए गए चयन पैनलों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता नहीं है.

4. तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I, 1989 को भी संलग्न शुद्धि पर्ची सं. 209 के अनुसार संशोधित किया जाता है.

कृपया पावती दें.

(डी.वी.राव)
संयुक्त निदेशक, स्था.(राज.)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक:- अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 209

.....3/-

D:\ABHI-RB\new hindi.doc

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 209

अध्याय-II, खंड 'ख' - समूह 'ग' कर्मचारियों की पदोन्नति को शासित करने वाले नियम.

I. पैरा 219 के मौजूदा उप-पैरा (ज) के पहले वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें :-

" (ज) सामान्य पदों के लिए, अर्थात् जो पदोन्नति की सामान्य सरणि के बाहर के पद हों, जिनके लिए उम्मीदवार, उसी विभाग या विभिन्न विभागों की विभिन्न कोटियों से बुलाए जाएंगे और जहां विचारार्थ कर्मचारियों की संख्या पैनलबद्ध किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के तीन गुणा तक ही सीमित नहीं होती, उन मामलों में चयन की कार्यविधि निम्न प्रकार होनी चाहिए:-"

II. पैरा 219 के उप पैरा (ज) के नीचे मौजूदा खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें :-

"अंतिम पैनल 'व्यवसायिक योग्यता' और 'सेवा रिकॉर्ड' के कुल अंकों पर आधारित मेरिट के क्रम में तैयार किया जाना चाहिए. तथापि, उम्मीदवार को पैनल पर आने के लिए 'व्यवसायिक योग्यता' में न्यूनतम 60% और कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने होंगे. उम्मीदवारों के 'उत्कृष्ट' वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान नहीं होगा"

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दि.19.06.2009 का पत्र सं. ई (एन जी) I/2008/पी एम 7/4 एस एल पी)

D:\ABHI-RB\new hindi.doc